FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत **न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)** मुकाम **जोधपुर**

सुआ देवी **बनाम्** भंवरलाल व अन्य

किस्म मुकदमा – 151 सी.पी.सी. 1908

मुकदमा संख्या – C/46/2025 जीसीएमएस नं 2025/303

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.10.2025	प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 सी.पी.सी. 1908 के तहत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री माधवराज चौधरी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर आयन्दा दिनांक 16.10.2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
16.10.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने हस्तगत प्रार्थना पत्र में यह निवेदन किया कि ''प्रार्थी (जगदीश पुत्र स्व. बाबुलाल बअनवान् सुआ देवी बनाम् भंवरलाल व अन्य वाद सं. P/12/2025) द्वारा मूलवाद के संलग्न प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र (66 / 2003 सुआ बनाम् भंवरलाल व अन्य 212) में दिनांक 30.10.2003 को जारी निर्णय की पालना करने हेतु संबंधित पुलिसथाना माता का थान, जोधपुर से पुलिस इमदाद की प्रार्थना की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद आज दिनांक को सुनवाई हेतु नियत होने से मूल वाद का अवलोकन किया गया। मूलवाद अवलोकन से यह स्पष्ट हैं कि प्रार्थी (जगदीश पुत्र स्व. बाबुलाल) को उक्त वाद में आज दिनांक तक पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया हैं। अतः उक्त के अभाव में हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि प्रार्थी (जगदीश पुत्र स्व. बाबुलाल) मूलवाद में पक्षकार संयोजित नहीं होने से हस्तगत प्रार्थना पत्र के गुणावगुण पर विचार किये बिना प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. ग्राह्य स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. अस्वीकार किया जाता हैं। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	सत्यमेव जयते जोधपुर